इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय
भोपाल

क्रमांक :6–1/2021–त.प.
दिनांक 12/8/2021

आदेश

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संग्रहालय को अपनी आय बढ़ाने के लिये ठोस कदम लिये जाने हैं। इस संबंध में संग्रहालय में उपलब्ध विभिन्न कार्यक्रम स्थलों एवं अन्य सुविधाओं को विभिन्न संस्थाओं/दर्शकों को सशुल्क उपलब्ध कराये जाने संबंधी पूर्व निर्धारित दरों को पुनरीक्षित कर नई दरों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है। ये दरें आज दिनांक से लागू होंगी।

क्र.	स्थल/सुविधा	दर (प्रति दिन/प्रति घंटा) रू.
1.	शैलकला भवन का सभा कक्ष (पी.ए सिस्टम/एसी के साथ) • **अधिकतम क्षमता 40 व्यक्ति**	7000/– प्रति दिन 4000/– आधे दिवस के लिये (4 घंटे हेतु) प्रवेश शुल्क सहित
2.	वीथि संकुल स्थित एम्फीथियेटर • **अधिकतम क्षमता 200 व्यक्ति**	5000/– प्रति दिन 1000/– रिहर्सल हेतु ▪ प्रवेश शुल्क सहित
3	मंडपम • **अधिकतम क्षमता 200 व्यक्ति**	5000/– प्रति दिन ▪ प्रवेश शुल्क सहित
4	आवृत्ति मुक्ताकाश आंगन • **अधिकतम क्षमता 500 व्यक्ति**	5000/– प्रति दिन ▪ प्रवेश शुल्क सहित
5	आवृत्ति भवन का आंतरिक सभा कक्षा (पीए सिस्टम, दो माइक, प्रोजेक्टर एवं एसी के साथ) • **अधिकतम क्षमता 80 व्यक्ति**	7000/– प्रति दिन ▪ प्रवेश शुल्क सहित
6	आवृत्ति के पीछे का प्रांगण **अधिकतम क्षमता 200 व्यक्ति**	5000/– प्रति दिन ▪ प्रवेश शुल्क सहित
7	तटीय गॉव परिसर स्थित एम्फीथियेटर • **अधिकतम क्षमता 100 व्यक्ति**	5000/– प्रति दिन ▪ प्रवेश शुल्क सहित
8	फोटोग्राफी हेतु स्वयं के उपयोग हेतु लाये गये साधारण कैमरा/हैंडीकेम (बिना ट्राईपॉड)	200/– प्रति दिन
9	कैमरा/वीडियो कैमरा ट्रायपोड के साथ (स्वयं के उपयोग हेतु)	2000/– प्रति दिन
10	प्री वेडिंग/मॉडल शूटिंग/कमर्शियल फोटो/वीडियो शूट/पोर्टफोलियो शूट बगैर ड्रोन • दल के सभी सदस्यों को प्रवेश हेतु टिकिट लेना अनिवार्य होगा।	10000/– प्रति दिन (प्रातः 6 से सांय 6 बजे तक)
11	प्री वेडिंग/ मॉडल शूटिंग/कमर्शियल फोटो/वीडियो शूट/पोर्टफोलियो शूट ड्रोन सहित (ड्रोन परिचालन हेतु लायसेंस एवं स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी) • दल के सभी सदस्यों को प्रवेश हेतु टिकिट लेना अनिवार्य होगा।	11000/– प्रति दिन (प्रातः 6 से सांय 6 बजे तक)
12	• डाक्यूमेंटरी शूटिंग/टैलिविज़न हेतु शूट • शूटिंग से संबंधित सामग्री के लाने एवं ले जाने का समय भी इसमें सम्मिलित है। • दल के सभी सदस्यों को प्रवेश हेतु टिकिट लेना अनिवार्य होगा।	25000/– प्रति दिन प्रातः 6 से सांय 6 बजे तक केवल सुरक्षा निधि रू. 50000/– जमा करनी होगी जो रिफंडेबल होगी।
13	• फीचर फिल्म/ओ.टी.टी. वेब सीरिज़ • शूटिंग से संबंधित सामग्री के लाने एवं ले जाने इत्यादि का समय भी इसमें शामिल है। • दल के सभी सदस्यों को प्रवेश शुल्क हेतु टिकिट	50000/– प्रति दिन प्रातः 6 से सांय 6 बजे तक कुल 12 घंटे के लिये सुरक्षा निधि रू. 50000/– जो रिफंडेबल

	लेना अनिवार्य होगा।	होगी।
14	प्रवेश टिकिट शुल्क	प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति रू. 50/– होगा। संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में छूट पूर्वतः रहेगा (12 वर्ष आयु तक के दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क होगा जबकी स्कूल, कॉलेज/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिक, वरदीधारी सेना/पुलिस कर्मी, के लिये प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी)

नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी :

1. उपरोक्त अनुसार विभिन्न स्थलों को किराये पर लेने हेतु एक आवेदन पत्र कार्यक्रम की तिथि से लगभग एक सप्ताह पूर्व दिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र संग्रहालय की वेबसाइट www.igrms.gov.in पर उपलब्ध है । इसे भर कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईमेल : directorigrms@gmail.com, dirigrms-mp@nic.in पर भेजा जाना होगा।
2. पूर्ण राशि जमा होने के उपरांत ही अनुमति/आबंटन पत्र जारी किया जायेगा।
3. कलाकारों के बैठने के लिए अस्थाई टेंट एवं वाहनों के पार्किंग हेतु सुरक्षा कर्मी के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. बुक किये गये स्थानों पर उपलब्ध सामग्री/उपकरणों इत्यादि में यदि कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तो वर्तमान बाजार मूल्य पर राशि हर्ज़ाना वसूला जावेगा।
5. प्रदर्शनी स्थलों में किसी तरह के परिवर्तन करने, प्रादर्शों को स्थानांतरित करने आदि की अनुमति नहीं है। कोई भी बाहरी सामग्री जैसे पानी, तेल, ग्रीस या इसी तरह की वस्तु या उसके हिस्से पर नहीं लगाया जाएगा।
6. प्रदर्शनी स्थल पर आग जलाना, धुंआ करना व रंग/गुलाल का उपयोग वर्जित है।
7. कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे संग्रहालय की किसी वस्तु/कलाकृतियों या उसके किसी भाग को क्षति पहुंचे। किसी भी क्षति/हानि के मामले में, फिल्मांकन के लिए जमा की गई सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इसके अलावा, लाइसेंसधारी को किसी भी प्रादर्श/कलाकृतियों की क्षति, चोट या हानि से उत्पन्न होने वाले ऐसे किसी भी दावे का निपटान करना होगा।
8. शूटिंग/स्थल आबंटन हेतु सहमति पत्र दिये जाने के बाद शुल्क राशि का भुगतान नगद/चेक/बैंक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संग्रहालय के रोकड़ अनुभाग में जमा कर रसीद प्राप्त होने के उपरान्त ही स्थल का आबंटन किया जायेगा। चेक/बैंक ड्राफ्ट निदेशक, इं.गां.रा.मा.सं. के नाम देय होगा। बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है : Name of Account holder: Director, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, Accont No.: 10026515042, Bank Name : State Bank of India, Branch: RCE Campus, Bhopal, IFSC Code : SBIN0002889 शुल्क ऑनलाइन जमा किये जाने की स्थिति में आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त रसीद की पुष्टि संग्रहालय के लेखा अनुभाग से कराकर जमा करानी होगी।
9. सभी प्रकार की स्वीकृति संग्रहालय के बुनियादी नियमों एवं शर्तो के साथ ही दी जायेंगी।
10. शूटिंग हेतु ड्रोन के प्रयोग की अनुमति एस.डी.एम./स्थानीय प्रशासन से लेने के पश्चात संग्रहालय में प्रस्तुत करनी होगी जिसके आधार पर संग्रहालय में ड्रोन शूटिंग की अनुमति दी जा सकेगी।
11. फिल्मांकन हेतु आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज/फार्म नीचे दिया गया है।
12. फोटोग्राफी और फिल्मांकन सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित प्रदर्शनी के अधिकारी/कर्मचारी संबंधित की उपस्थिति में ही किया जाएगा।
13. फोटोग्राफी और फिल्मांकन के दौरान दर्शकों की आवाजाही निर्बाध रूप से जारी रहेगी । शूटिंग के दौरान प्रदर्शनियों, प्रवेश द्वारों/निकासों, दरवाजों, रास्तों और उच्च यातायात क्षेत्रों की पहुंच को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा।
14. फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम में इंगांरामासं को उचित रूप से टाईटल में स्थान/ऑन स्क्रीन एण्ड क्रेडिट प्रदान की जानी होगी।
15. आवेदक को फोटो–पहचान प्रमाण अधिमानतः पासपोर्ट/आधिकारिक आईडी/मतदाता पहचान पत्र/आधार/ड्राइविंग लाइसेंस, आदि प्रस्तुत किए जाने होंगे।
16. इस प्रकार दी गई अनुमति में लागू प्रवेश शुल्क शामिल नहीं होगा। पूरी टीम/व्यक्ति को प्रवेश टिकट खरीदना होगा।

17. यह संबंधित व्यक्ति और/या फिल्म निर्माण इकाई की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि छायाचित्र या फिल्म किसी व्यक्ति, समूह, जाति, धर्म, मत, संप्रदाय या तत्सम किसी भी के संबंध में कोई विवादास्पद, हास्यास्पद तथा ऐसी टिप्पणी, जो किसी के विपरीत हो, भावनाओं को आहत करती हो, का समावेश न किया जाये। किसी भी व्यक्ति के कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गोपनीयता या प्रचार का उल्लंघन नहीं करती हो, किसी भी कानून, नियम, कोड और दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं करती हो। इंगांरामासं का पूर्वगामी मामलों के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं होगा।
18. इंगांरामासं की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रचार सामग्री में संग्रहालय के संदर्भ में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी।
19. कोई अन्य शर्त, जिसे प्रदर्शनी/स्थल अधिकारी संग्रहालय की वस्तुओं, सरकारी संपत्ति के साथ–साथ संग्रहालयों में कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा और सुरक्षा के व्यापक हित में रखते हैं, एजेंसी या अनुमति मांगने वाले व्यक्ति को पालन करना होगा।
20. शूटिंग हेतु आवश्यक वाहन, कलाकारों, संबंधित कर्मियों एवं आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिये संग्रहालय के गेट क्रमांक–01 का ही प्रयोग करना होगा।
21. उपरोक्त दिशानिर्देश/नियम और शर्तें बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी बदलाव के लिए समय–समय पर इंगांरामासं की वेबसाइट का अवलोकन करें।
22. स्थानीय जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से शूटिंग की अनुमति की छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी।

(डॉ. प्रवीण कुमार मिश्र)
निदेशक